माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

ई–मेल : **mpbse@mp.nic.in** वेब साइट : **www.mpbse.nic.in**

भोपाल दिनांक 08/08/2017

//प्रेस विज्ञप्ति//

1. सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2017 के लिये नवीन ऑनलाईन आवदेन करने की अंतिम तिथि 31/10/2017.

2. वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/08/2017.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के माध्यम से महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली, सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन आवेदन करने का कार्य प्रारंभ हो चुका हैं।

1. **सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2017 के लिये नवीन ऑनलाईन आवदेन करने की अंतिम तिथि 31/10/2017 –** माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2017 में उत्तीर्ण Top 20 Percentile अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु National Scholarship Portal पर आवेदन केवल ऑनलाईन ही भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल की Top 20 Percentile विद्यार्थियों की सूची को National Scholarship Portal से Mapped किया गया हैं। इस सूची में सम्मिलित विद्यार्थी ही इस योजना हेतु आवेदन कर सकेंगे। सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना को अच्छी तरह समझने हेतु पोर्टल के होमपेज पर गाईड लाईन्स एवं FAQs दिये गये हैं। सत्र 2017 के विद्यार्थियों के लिये National Scholarship Portal पर ऑनलाईन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 30/09/2017 से बढ़ाकर 31/10/2017** कर दी गई हैं।

छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के कुल 4299 अभ्यार्थियों को चयनित किया जाना है, जिसमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए एवं 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्रों के लिए निर्धारित की गई है। उपरोक्त संख्या को 3:2:1 के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में वितरण किया जावेगा। इनमें विज्ञान संकाय के 2150, वाणिज्य संकाय के 1433 एवं कला संकाय के 716 अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना है। इन अभ्यार्थियों में सभी वर्गों का कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों, 7.5 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों, 27 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों एवं 3 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोटा आवंटित हैं।

2. **वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/08/2017** – वर्ष 2016 के प्रथम नवीनीकरण एवं वर्ष 2015 के द्वितीय नवीनीकरण के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/08/2017 निर्धारित की गई हैं।

छात्रवृत्ति हेतु ऐसे आवेदकों को पात्रता होगी जो नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। विद्यार्थी National Scholarship Portal पर नवीन (Fresh) या नवीनीकरण (Renewal) आवेदन भरने के पश्चात अपने ऑनलाईन आवेदन संबंधित संस्था के द्वारा सत्यापित (Verified) अवश्य करायें अन्यथा आवेदन अवैध (Invalid) माने जायेंगे।

भारत शासन के निर्देशानुसार सत्र 2017–18 छात्रवृत्ति हेतु हितग्राही विद्यार्थी का **आधार नम्बर होना आवश्यक है।** विद्यार्थी को अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलकर उसे आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है। Online/offline आधार कार्ड संबंधी दिशा–निर्देश वेबसाईट http://www.aadharcarduidai.in/ aadhar-card-apply-online-offline/ पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति संबंधी दिशा–निर्देश वेबसाईट http://www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी National Scholarship Portal पर छात्रवृत्ति हेतु Online आवेदन स्वयं करेंगे एवं आवेदन भरने के पश्चात पावती हेतु प्रिण्ट निकालकर अपने पास रखें एवं हार्डकॉपी अपने अध्ययनरत संस्थान की ओर भेंजे।

अतिरिक्त सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल

Ghanshyam, US(Scholarshi| 12:31 PM (22 hours ago)

to ranjandas1967, raipur.ss, chairman-gbshs., jallumı

Sir/Madam,

Please find attached a scan copy of the Department of Higher Education's letter No.1-44/2017-NS-I (NSP) dated 28-07-2017 on the above subject for necessary action.

2. The last date for 2017 **fresh scholarship is 31.10.2017** and for the renewal scholarship for **1s renewal 2016 and 2nd renewal 2015 is 31.8.2017.**

3. **All the eligible students may be asked to apply online within the stipulated time and get their online applications verified by the Institutions (if required show the original documents to the institute) else the application would be treated as INVALID.**

4. You are requested to give wide publicity and create awareness. Action taken may kindly be intimated to this Department.

Subject: Implementation of 'Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students' through National Scholarship Portal 2.0 for the Academic Year 2017-18.

Sir/Madam,

PDF **All SEBs letter dt 2...**

No. 1-44/2017-NS-1(NSP)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(Scholarship Division)

2[nd] Floor, Wing-6, West Block-1, R.K. Puram,
New Delhi-110 066
Dated the 28[th] July, 2017

To
Chairman, CBSE/CISCE and Secretaries of State Education Boards of all States.

Subject: **Implementation of 'Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students' through National Scholarship Portal 2.0 for the Academic Year 2017-18.**

Sir/Madam,

Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development is implementing the "Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students' since 2008. The scheme is being implemented by the State Education Boards. The Scheme has been brought under the Direct Benefit Transfer (DBT) programme and the scholarship amount is disbursed directly into the bank account of the beneficiaries.

2. Online applications under the scheme are being invited through the National Scholarship Portal (http://scholarships.gov.in/) since 2015. For the current Academic year, the process of inviting online application has begun and **the last date is 31.10.2017.**

3. As the data of the students who are in the top 20[th] percentile merit list for the individual board is mapped with the National Scholarship Portal and only those students can apply for the scheme. For the better understanding of the scheme, the guidelines and the FAQs have been provided in the Home page of the portal.

4. Students of Academic Year 2015-16 and 2016-17 who have received the scholarship may also be advised to apply on the portal.

5. After finally submitting the applications on the portal the students may be advised to get the online applications verified by the respective institutions within the stipulated time, else the applications would be treated as **INVALID.**

Yours faithfully,

[Manoj Kumar Kejrewal]
Director (Scholarship)
011-2617 2932

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

भोपाल दिनांक 29 / 06 / 2017

//प्रेस विज्ञप्ति//

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2017–18 के लिये ऑनलाईन आवदेन करने की तिथि 01.07.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के माध्यम से महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली, सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन आवेदन करने का कार्य **01 जुलाई, 2017** से प्रारंभ किया जायेगा एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि **30 सितम्बर 2017** तक निर्धारित की गयी है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2017 में उत्तीर्ण Top 20 Percentile अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु National Scholarship Portal पर आवेदन केवल ऑनलाईन ही भरेंगे।

छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के कुल 4299 अभ्यार्थियों को चयनित किया जाना है, जिसमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए एवं 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्रों के लिए निर्धारित की गई है। उपरोक्त संख्या को 3:2:1 के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में वितरण किया जावेगा। इनमें विज्ञान संकाय के 2150, वाणिज्य संकाय के 1433 एवं कला संकाय के 716 अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना है। इन अभ्यार्थियों में सभी वर्गों का कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों, 7.5 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों, 27 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों एवं 3 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोटा आवंटित हैं।

इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा सत्र 2016–17 में 20 Percentile वाले ऐसे आवेदकों को पात्रता होगी, जो सत्र 2017–18 में नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि 20 Percentile अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो।

भारत शासन के निर्देशानुसार सत्र 2017–18 छात्रवृत्ति हेतु हितग्राही विद्यार्थी का आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं विद्यार्थी को अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलकर उसे आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है।

Online/offline आधार कार्ड संबंधी दिशा–निर्देश वेबसाईट http://www.aadharcarduidai.in/aadhar-card-apply-online-offline/ पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति संबंधी दिशा–निर्देश वेबसाईट http://www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध हैं।

विद्यार्थी National Scholarship Portal पर छात्रवृत्ति हेतु Online आवेदन स्वयं करेंगे एवं आवेदन भरने के पश्चात पावती हेतु प्रिण्ट निकालकर अपने पास रखें एवं हार्डकॉपी अपने अध्ययनरत संस्थान की ओर भेंजे।

अतिरिक्त सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल